कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

प्रमाण-पत्र

फ्रॉंसिसकन कलारिस शिक्षण एवं विकास संस्थान भासनी (संस्था का नाम)

द्वारा संचालित सेंट एन्थोनी कॉन्वेन्ट स्कूल शिवराज भासनी I फेस, जोधपुर जिला जोधपुर (विद्यालय का नाम)

को राजस्थान राज्य में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निभाई जा रही भूमिका के दृष्टिगत श्रीमान् शासन उप सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्रांक : प.9(68) शि-5/05 दिनांक 25.01.08 एवं आयुक्त, प्रा.शि. राजस्थान बीकानेर के पत्रांक-शिविरा /प्रार /शैक्षिक /सी / 19626/ 02-06/II (मु.) दिनांक 05.02.08 के अनुसरण में संस्था को निम्न आधार पर उच्च प्राथमिक (माध्यम- ~~हिन्दी~~/अंग्रेजी) स्तर पर मान्यता दी हुई माने जाने का प्रमाण-पत्र सत्र 2008-09 से जारी किया जाता है।

1. संस्था द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ठ-1 में अंकित सूचनाएं परिशिष्ठ-2 में यथा निर्दिष्ठ निर्बन्धनों तथा शर्तो की पूर्ति एवम् इस बात के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार कमी पाये जाने पर जारी प्रमाण-पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।
2. संस्था द्वारा राज्य सरकार, आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/ प्रारम्भिक शिक्षा एवम् ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने पर आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय-समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्था पाबंद होगी। अवमानना की स्थिति से जारी प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
3. संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी शिक्षण संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होगें, परन्तु इस प्रयोजनार्थ इन्हें संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित समान परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।
4. राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार प्रत्येक संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष मे अपने द्वारा संचालित विद्यालय भवन का 'भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र' मय ब्ल्यू प्रिंट के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करना होगा।
5. राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम 1993 के नियम 23 के अनुरूप कार्यकारिणी का निर्वाचन कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को समय-समय पर प्रस्तुत करनी होगी।
6. संस्था द्वारा संचालित विद्यालय को प्रमाण-पत्र जारी करने के वर्ष 2008 में कक्षा-6, 2009 में कक्षा-7 एवं 2010 में कक्षा-8 प्रारम्भ करनी होगी।
7. अभिभावक/छात्र के द्वारा T.C. चाहने पर नियमानुसार जारी करेंगे एवं प्रधानाध्यापक के परिवर्तन की सूचना परिवर्तन के साथ ही हस्ताक्षर प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोध/मान्यता/08/F 19 / 31 30-04-08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर,
2. श्रीमान् उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर
3. श्रीमान् ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ..., जोधपुर
4. संस्था सचिव, फ्रांसिसकन कलारिस शि. एवं विकास संस्थान शिवराज भासनी I जोधपुर, जोधपुर
5. पक्षक पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर

MANAGER
St. Anthony's Convent School
JODHPUR-342 003
(RAJASTHAN)

PRINCIPAL
St. Anthony's Convent School
JODHPUR-342 003
(RAJASTHAN)

दि. 16 वैशाख 2065

VIPIN CHANDRA SHARMA
IAS
Additional Chief Secretary

विपिन चन्द्र शर्मा, आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव

सत्यमेव जयते

Minority Affairs and Waqf Board
SSO Building, Secretariate, Jaipur (Raj.)
Ph.: 0141-2227635, 2222844 (fax)
E-mail : vc.sharma@nic.in

अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं वक्फ बोर्ड
एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
फोन नं. : 0141-2227635, फैक्स : 2222844

No. ACSMA/2015/7323
Jaipur Dated 19.08.2015
21

Minority Status Certificate

On consideration of the documentary evidence produced before the Competent Authority, the Competent Authority is satisfied that St. Antony's Convent School, Shiv Nagar, Basni, Ist Phase, Jodhpur managed by the Franciscan Clarist Shikshan Evam Vikas Sansthan, Basni Ist Phase, Jodhpur is a Minority Educational Institution within the meaning of Section 2(g) of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 read with the Order issued by the Government of Rajasthan No. F.4(1) Maw/2013/5141, dated 15.04.2013.

Consequently, it is hereby declared that the aforesaid School is a Minority Educational Institution covered under Article 30 of the Constitution of India.

The Institution shall comply with all the Rules and Regulations issued in this regard and display all necessary information in Public Interest on its website.

Given under my hand and the seal of the Competent Authority on this 19th August 2015.

Vipin Chandra Sharma
Additional Chief Secretary to Government
Department of Minority Affairs

PRINCIPAL
St. Anthony's Convent School
JODHPUR-342 003
(RAJASTHAN)